ई–मेल द्वारा

संख्याः भातिसीपु/51वीं वाहिनी/स्थापना शाखा/कल्याणार्थ/2018 4111
कार्यालय सेनानी, 51वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
पत्रालय–पंजाबी यूनिवर्सिटी
जिला– पटियाला, पंजाब, पिन कोड–147002

दिनांक 13/09/18

सेवा मे,

श्री एम.एस. भुर्जी
अध्यक्ष
ए.आई.ई.पी.डब्ल्यू.ए.

विषय दल संख्या 930230164 भूतपूर्व कांस्टेबल/जी.डी. निर्भय सिंह, स्थाई निवासी ग्राम–कुम्भरवल, तहसील–धुरी, जिला–संगरूर (पंजाब) की वास्तविक स्थिति के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 11.09.2018 के ई–मेल संदेश का संदर्भ ग्रहण करें जिसके तहत उक्त भूतपूर्व कर्मी के गृह निवास पर एक विशेष प्रतिनिधि भेजकर वास्तविक जानकारी लेने हेतु कहा गया है।

2. उपरोक्त विषयक में अवगत कराना है कि आपके ई–मेल के अनुपालन में दिनांक 12.09.2018 को वाहिनी से एक विशेष प्रतिनिधि दल संख्या 880010217 सहायक उप निरीक्षक/जी.डी. जोगेन्द्र सिंह, 51वीं वाहिनी (मोबाईल न0.8360980395) को भूतपूर्व कर्मी के गृह नगर ग्राम–कुम्भरवल, तहसील–धुरी, जिला–संगरूर (पंजाब) पर भेजा गया। वाहिनी से भेजा गया प्रतिनिधि भूतपूर्व कर्मी से मिला और उसके परिवार से श्री निर्भय सिंह का हाल–चाल जाना गया। श्री निर्भय सिंह चलने फिरने में असमर्थ है, कर्मी से बिस्तर पर लेटे हुए ही हालचाल जाना गया। श्री निर्भय सिंह ने बताया कि "दिनांक 24.04.2001 को अनंतनाग (जम्मू एवं कश्मीर) में तैनाती के दौरान आंतकवादी हमले में मेरे दोनो पैरों में गम्भीर चोट आई थी जिसके चलते मुझे विभाग द्वारा दिनांक 14.06.2003 को मेडिकल बोर्ड किया है। आर्मी के चिकित्सकों द्वारा मुझे 100 प्रतिशत अपंगता दी गई थी तथा वर्तमान में मुझे लगभग 20,000/– प्रतिमाह की दर से पेंशन मिल रही है, पेंशन के अलावा मुझे सरकार की ओर से कोई भी वित्तीय लाभांश देय नहीं किया गया है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी (श्रीमती अंगूरी देवी), 02 पुत्र एवं 01 पुत्री है। मेरा बड़ा पुत्र बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में एवं छोटा पुत्र कक्षा 12वीं में तथा पुत्री बी.एस.सी.(III) नर्सिंग में अध्ययनरत है। आंतकवादी हमले में मेरे दोनो पैरों के घुटने से नीचे कोई किया नहीं करने के कारण मैं चलने में असमर्थ हूँ जिस कारण मेरी देख–भाल मेरे परिवार द्वारा की जा रही है।"

3. इसके अतिरिक्त वेतन एवं लेखा कार्यालय के पत्र संख्या 1818 दिनांक 18.01.2004 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार कर्मी को असाधारण (अशक्तता) पेंशन के अन्तर्गत Liberalised Pension देय किए जाने के प्रकरण में कमिया होने के कारण मामला मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय को वापस किया गया था। श्री निर्भय सिंह द्वारा विशेष प्रतिनिधि को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर इस प्रकरण में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसकी वास्तविक जानकारी कर्मी की संबंधित वाहिनी से प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है जबकि वेतन एवं लेखा कार्यालय के पत्र संख्या 3758–61 दिनांक 10.11.2004 के तहत कर्मी को असाधारण (अशक्तता) पेंशन स्वीकृत की गई है जोकि कर्मी द्वारा नियमित रूप से आहरित की जा रही है।

लगातार पृष्ठ.....02/–

4. वाहिनी से भेजे गए प्रतिनिधि द्वारा श्री निर्भय सिंह को आश्वस्त कराया कि बल द्वारा जो भी कल्याणकारी लाभकारी योजनाए वर्तमान समय में बल में प्रचारित है यदि आप किसी कल्याणकारी योजना की श्रेणी में आते है तो आपको उस योजना का लाभ दिलाने के लिए वाहिनी द्वारा हरसम्भव प्रयास किया जायेगा।

5. चूँकि श्री निर्भय सिंह दोनो पैरों में Traumatic Paraplegia नामक बीमारी से ग्रसित है तथा चलने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। अतः दल संख्या 930230164 भूतपूर्व कांस्टेबल/जी.डी. निर्भय सिंह के सम्बंध में जुटाई गई जानकारी की विस्तृत रिपोर्ट सादर आपको प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

संचार केन्द्र, 51वीं०वा०भा०ति०सी०पु०बल
Signal Centre 51ST BN. I.T.B.P. Force
रजि. सं०/Regd. No. 070
दिनांक/Date 13/9/18
समय/Time 1725 /Sig

सेनानी
51वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु. बल।

T112-25

Dear Comdt Guleria

I am approaching you to provide all necessary assistance to Ex-Ct Nirbhay Singh, resident of Sangrur Distt. His story as punished in 'Hindustan Times is attached herewith.

Pl send someone to his village, and find out what is required to be done. Please do let me also know if the All India Ex-ITBPF Personnel Welfare Association (AIEPWA) can supplement in the efforts.

M S Bhurji
President
E-Mail : president.aiepwa@gmail.com

Adjt

As briefed please get the details & put up reply as well as put up letter to Dte Gen as well.

21/9

ASI/GD Joginder
Plse put up details
11/9

Cont.-